

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइट: hajcommittee.up.gov.in ; ई-मेल : hajcommittee.up@gmail.com

पत्रांक : जी-।।/706/एस०एच०सी/2025

दिनांक : 13.04.2025

—: प्रेस विज्ञप्ति —:

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई ने सर्कुलर-40 दिनांक 13.04.2025 द्वारा अवगत कराया है कि हज-2025 में सऊदी सरकार द्वारा 12 वर्ष की आयु से कम बच्चों को वीजा जारी नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से विभिन्न राज्यों के 12 वर्ष से कम आयु के 291 बच्चे हज-2025 पर नहीं जा सकेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 18 बच्चे हैं जिनके आवेदन निरस्त किये गये हैं।

प्रभावित कवर नम्बर के शेष हज यात्री हज-2025 हेतु प्रस्थान कर सकेंगे, परन्तु प्रभावित कवर नम्बर में यदि कोई अन्य हज यात्री बच्चे के कारण अपनी यात्रा दिनांक 14 अप्रैल, 2025 तक ऑनलाइन व हज सुविधा एप के माध्यम से निरस्त कराने हेतु आवेदन करता है तो उनकी यात्रा निरस्त कर दी जायेगी व किसी तरह का कोई निरस्तीकरण शुल्क नहीं देय होगा। 14 अप्रैल, 2025 के बाद निरस्तीकरण पर नियमानुसार कटौती की जायेगी।

उत्तर प्रदेश के जिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सीट निरस्त हुई हैं वह निम्नवत हैं:-

क्रम सं०	कवर नम्बर	12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नाम	प्रदेश
1	यू०पी०एफ-144-4-1	मोहम्मद हाशिम	उत्तर प्रदेश
2	यू०पी०एफ-1790-4-0	मोहम्मद रेआन	उत्तर प्रदेश
3	यू०पी०एफ-2701-5-0	मोहम्मद अरीब	उत्तर प्रदेश
4	यू०पी०एफ-310-4-0	अब्दुल अहद	उत्तर प्रदेश
5	यू०पी०एफ-310-4-0	अबू हुरैराह	उत्तर प्रदेश
6	यू०पी०एफ-3460-5-0	तसमिया फातमा	उत्तर प्रदेश
7	यू०पी०एफ-347-5-0	मोमिनाह	उत्तर प्रदेश
8	यू०पी०एफ-3485-5-2	अरवा रानी	उत्तर प्रदेश
9	यू०पी०एफ-3485-5-2	आरफा रानी	उत्तर प्रदेश
10	यू०पी०एफ-4888-5-0	अब्दुल रहमान	उत्तर प्रदेश
11	यू०पी०एफ-5036-2-1	मोहम्मद	उत्तर प्रदेश
12	यू०पी०एफ-5124-5-1	मुस्तफा	उत्तर प्रदेश
13	यू०पी०एफ-5229-3-1	मोहम्मद	उत्तर प्रदेश
14	यू०पी०एफ-5436-3-0	मरयम	उत्तर प्रदेश
15	यू०पी०एफ-5496-3-1	मोहम्मद	उत्तर प्रदेश
16	यू०पी०एफ-5838-3-0	अबू	उत्तर प्रदेश
17	यू०पी०एफ-5853-4-0	कबीर हुसैन	उत्तर प्रदेश
18	यू०पी०एफ-6120-5-0	अमीर हमजा	उत्तर प्रदेश

(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त ई-सुविधा केन्द्र व प्रशिक्षक, समस्त जनपद, उ०प्र०।
6. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।

(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी